यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/23/2018 **दिनांक :** 08.03.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि यूएफबीयू ने 23.02.2018 की अपनी बैठक में पीएनबी घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की माँग करने के लिए एक अभियान कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया है तथा 5 से 10 मार्च, 2018 के मध्य प्रैस वार्ता आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया था। यूएफबीयू ने अब अपने परिपत्र संख्या यूएफबीयू/2018/04 दिनांक 05.03.18 के माध्यम से प्रैस विज्ञप्ति का नमूना जारी किया है जिसका अनूदित सार हम अपनी सभी इकाईओं तथा सदस्यों के सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया सभी केन्द्रों पर 12 से 13 मार्च तक प्रैस वार्ता आयोजित करके इस मामले में लोगों को हमारे पक्ष की जानकारी दें।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रैस विज्ञप्ति

हम माँग करते हैं

- **पंजाब नैशनल बैंक धोखाधड़ी में शामिल, जुड़े हुए और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाये**
- **छोटे स्तर के कर्मचारियों को अलग–थलग न किया जाये**
- **जाँच में आरबीआई की भूमिका को छोड़ा न जाये**
- **व्यापक स्थानान्तरणों द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों का शोषण न किया जाये**
- **संयुक्त संसदीय समिति द्वारा मामले की व्यापक जाँच की जाये**
- **बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास कायम किया जाये**

ऐसे समय में जब बैंक भारी पैमाने में न वसूली योग्य खराब ऋणों की समस्या का सामना कर रहे हैं और अर्जित मुनाफे से किए गए प्रावधानों के कारण नुकसान में जा रहे हैं, पीएनबी – निरव मोदी धोखाधड़ी एक बहुत बड़ा झटका है जिसने बैंकों की कॉर्पोरेट लूट की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को उजागर किया है और इस तरह, लोगों के धन की।

धोखाधड़ी के परिमाण को एक बैंक एक शाखा दो कर्मचारियों तक सीमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी बड़ी धोखाधड़ी को सरल तरीके से नहीं किया जा सकता है कि किसी को इसके बारे में खबर हुए बिना एक शाखा अधिकारी 6 या 7 वर्ष की अवधि में रू0 12,000 करोड़ के लिए एलओयू दे देगा।

जारी पृष्ठ 2

इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाखा अधिकारियों और कर्मचारियों की सहभागिता हुई है। लेकिन यह विश्वास करना भोलापन है कि कोई और इस रैकेट में शामिल नहीं है और कुछ कर्मचारी अकेले ही इस धोखाधड़ी को कर सकते हैं। कम से कम यह निरव मोदी की जानकारी के बिना नहीं हो सकता है जिसके पक्ष में ये एलओयू दिए गए हैं। इस तरह यह एक बड़ा घोटाला है जिसमें निरव मोदी शामिल है और यह जांच की जानी चाहिए कि कैसे निरव मोदी शीर्ष प्रबन्धन से उचित स्वीकृति के बिना बैंक से ऐसे वचन–पत्र प्राप्त कर सका और जिसके लिए वह हकदार नहीं है।

धोखाधड़ी ने पूरे प्रकरण में आरबीआई की भूमिका के अतिरिक्त तकनीकी मुद्दों, पर्यवेक्षण, निगरानी, लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण आदि पर कई सवाल उठाए हैं।

- ऐसा कैसे हो सकता है कि आरबीआई जो बैंकों की एक नियमित लेखा परीक्षा करती है, कई वर्षों और संलिप्त धन की मात्रा के बावजूद, धोखाधड़ी को भांप तक नहीं सका ?

- क्या **स्विफ्ट** के लिए सॉफ्टवेयर जिसे धोखाधड़ी में प्रयुक्त किया गया बैंकिंग क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित था ? यदि हां, तो कैसे इसके लिए उचित सुरक्षा वॉल नहीं थी। यदि नहीं, तो आरबीआई ने इस सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनदेखी क्यों की।

- प्रसिद्ध हर्षद मेहता घोटाला 'बैंकर्स प्राप्तियों' के तथाकथित 'नवप्रवर्तनकारी' उपायों की वजह से था जिसने बैंकिंग क्षेत्र को गहरे संकट में डाल दिया। निरव मोदी धोखाधड़ी ने नए साधन वचन–पत्र का अनुचित लाभ उठाया है। क्या आरबीआई इस एलओयू के संभावित दुरूपयोग से अवगत नहीं था।

- सभी संभावनाओं में आरबीआई एलओयू को अपनाने से इंकार कर देगा क्योंकि इसमें बैंकर्स की प्राप्तियां थीं। यदि ऐसा है तो आरबीआई ने इन गारंटियों, जोखिमों की जांच के बारे में बैंकों से सवाल क्यों नहीं किए और करदाताओं के पैसे को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक फायरवॉल क्यों नहीं बनाए ?

- स्पष्ट रूप से आरबीआई सुभेद्य बैंकिंग क्षेत्र के नियामक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में बुरी तरह से विफल हो गया है। गर्वनर चुप क्यों है ? क्या यह उनका मामला है कि अब एक 'अपराधी कर्मचारी' बिना पता लगे रू0 12,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी में मदद कर सकता है ? अगर ऐसा है तो क्या आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र का पूरा पतन स्वीकार नहीं कर रहा है, जहां नियामक होने के बजाय इसकी अक्षमता और उदासीनता देश के लिए इसे एक जोखिम बनाती है।

- नियमों के विपरीत इतने वर्षों तक उस शाखा अधिकारी को उसी शाखा/विभाग में क्यों रखा गया ? उच्च नियंत्रक अधिकारियों का क्या स्पष्टीकरण है।

- बैंक नॉस्ट्रो खाते के बारे में क्या है, क्या इस खाते में प्रविष्टियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह सारा धन विदेशों में स्थित खातों में जमा कर दिया गया जिन्होंने कि एलओयू के आधार पर ऋण प्रदान किया। शीर्ष प्रबंधन को कैसे इसकी जानकारी नहीं थी।

- जब निरव मोदी के अन्य ऋणों को मंजूरी दी गई और नवीनीकरण किया गया, तो उसकी बड़ी व्यापार मात्रा, आयात बिल व्यवसाय आदि को अनदेखा क्यों किया गया।

- क्या ऐसा है कि कोई भी कर्मचारी एलओयू जारी कर सकता है और बिना किसी की जानकारी के स्विफ्ट द्वारा विदेशी प्रतिनिधियों को सलाह दे सकता है। यदि ऐसा है, तो क्या यह उचित बैंकिंग है।

- क्या शीर्ष प्रबंधन का मानना है कि केवल कुछ स्थानीय अधिकारी शामिल हैं और शीर्ष प्रबंधन की कोई जबावदेही नहीं है।

- केवल छोटे स्तर स्तर के शाखा कर्मचारियों को निलंबित करके, क्या वे पूरे प्रकरण से खुद को निकालना चाहते हैं।

जारी पृष्ठ 3

- जबकि हम छोटे स्तर पर गलत करने वालों का समर्थन नहीं करते है, तो यह धारणा जाती है कि केवल छोटे स्तर के अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। उनको निलंबित करने के लिए इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी क्यों। शीर्ष प्रबंधन की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई। आरबीआई पर उनकी घोर लापरवाही के लिए अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं।

- लेखा परीक्षकों की भूमिका क्या है ? यदि लेखा परीक्षक धोखाधड़ी का पता नहीं लगा सकते, तो लेखा परीक्षक का क्या उद्देश्य है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की माँग को – अस्वीकृत किया जाना चाहिए

पीएनबी धोखाधड़ी के कारण, एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स तथा फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से माँग आ रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अकुशल हैं और इसलिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए। इस माँग को पूर्णतया ठुकराये जाने की आवश्यकता है।

आईये देखें कि हमारे देश में निजी बैंकों का कार्य निष्पादन रिकॉर्ड क्या है। 1948 तथा 1960 के बीच, 200 से अधिक निजी बैंक कुप्रबंधन के कारण ढह गये और विलुप्त हो गये। यदि निजी बैंक कुशल थे, तब क्यों विलुप्त हो गये?

1960 तथा 2018 के मध्य, निम्नलिखित निजी बैंक बन्द हो गये और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य बैंकों के साथ विलय हो गए।

1.	बैंक ऑफ बिहार
2.	नैशनल बैंक ऑफ लाहौर
3.	ईस्टर्न बैंक
4.	कृष्णराव बल्देव बैंक
5.	बेलगाम बैंक
6.	लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक
7.	मिराज स्टेट बैंक
8.	हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक
9.	ट्रेडर्स बैंक लि0
10.	बैंक ऑफ तमिलनाड
11.	बैंक ऑफ थंजावुर
12.	परूर सेण्ट्रल बैंक
13.	पूर्वांचल बैंक
14.	बैंक ऑफ कराड लि0
15.	काशीनाथ सेठ बैंक
16.	पंजाब को–ऑपरेटिव बैंक लि0
17.	बरी दोआब बैंक लि0
18.	बरेली बैंक लि0
19.	20 सेंचुरी फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि0
20.	ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट

जारी पृष्ठ 4

21. सिक्किम बैंक लि0
22. टाईम्स बैंक लि0
23. बैंक ऑफ मदुरा
24. बनारस स्टेट बैंक लि0
25. नेदुंगदी बैंक लि0
26. साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक
27. बैंक मस्कट एसएओजी
28. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि0
29. बैंक ऑफ पंजाब
30. गणेश बैंक ऑफ कुरूंडवाड
31. यूएफजे बैंक लि0
32. यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक
33. लॉर्ड कृष्णा बैंक
34. संगली बैंक
35. भारत ओवरसीज बैंक
36. सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब

यदि निजी बैंक वास्तव में कुशल हैं, तो ये बैंक क्यों बंद हो गए और अन्य के साथ विलय कर दिये गए। इनमें से ज्यादातर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के साथ विलय कर दिए गए।

दूसरे, बैंकों में चिन्ताजनक रूप से बढ़ते हुए खराब ऋणों को लें। अपराधी कौन हैं और चूककर्ता कौन हैं ? क्या वे सभी निजी कंपनियां, उद्योगपति और कॉर्पोरेट घराने नहीं हैं ? एनपीए के 12 मामलों को दिवालियापन और दिवालियापन की कार्यवाही के लिए एनसीएलटी के पास भेजा गया है जिसमें रू0 253,000 करोड़ शामिल हैं। वे कौन हैं ? क्या वे सभी शीर्ष निजी कॉर्पोरेट उधारकर्ता नहीं हैं। उन्होंने ऋणों को क्यों नहीं चुकाया ? क्या यह उनकी दक्षता है ? क्या बैंकों का निजीकरण होना चाहिए और इन लोगों को सौंप दिए जाने चाहिए ?

पीएनबी धोखाधड़ी में, निजी क्षेत्र निरव मोदी मुख्य वास्तुकार है। हमारे देश की किसी भी प्रमुख धोखाधड़ी को लें। इस में निजी कॉर्पोरेटों का हाथ दिखाई देगा।

उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋणों का बड़ा भाग निजी कॉर्पोरेट घरानों के लिए है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुशल नहीं हैं, तो वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से इन ऋणों को क्यों प्राप्त करते हैं और निजी बैंकों से ऐसे ऋणों को क्यों नहीं लेते हैं ?